न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, करौली (राजस्थान)
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली)

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार बेरीवाल,
R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या (CIS) : 255/2026

गीतेश उर्फ जीतेश पुत्र सीयाराम, आयु 25 साल, निवासी खरौली, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला करौली (राजस्थान)।

––प्रार्थी/आरोपी

बनाम्

राजस्थान सरकार ––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बसिलसिले प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 182/2025, पुलिस थाना मासलपुर, जिला करौली, अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29, NDPS Act.

उपस्थितः
अधिवक्ता श्री राजेशसिंह : आरोपी की ओर से।
विशिष्ट लोक अभियोजक श्री रीतेश सारस्वत : राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 08.06.2026**

1. प्रार्थी/आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आरोपी का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, प्रार्थी से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है, प्रकरण में जप्तशुदा तथाकथित मादक पदार्थ से प्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं है, प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण का मुख्य आरोपी सोमेश्वर जिससे प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है, की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एवं अन्य सहआरोपीगण अशोक कुमार व रणजीत की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/आरोपी अपनी गिरफ्तारी की दिनांक 29.05.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/आरोपी का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्को का विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में सहआरोपी सोमेश्वर के अनन्य एवं चेतन्य कब्जे से कुल शुद्ध 08 ग्राम 30 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद होना बतलाया गया है तथा प्रार्थी/आरोपी द्वारा उसे उक्त अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करना बतलाया गया है। अनुसंधान से प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध धारा 8/29, NDPS Act का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि मौके से प्रार्थी/आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा ना ही मौके से गिरफ्तारी हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय तूफानसिंह बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू (2021) 4 SCC 1 में यह मत अभिनर्धारित किया गया है कि केवल मुख्य अभियुक्त के डिसक्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर किसी को अभियुक्त बनाया गया है तो विचारण के दौरान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, यदि कोई अन्य साक्ष्य पत्रावली पर इस सन्दर्भ में ना हो। प्रार्थी/आरोपी से अनुसंधान शेष नहीं है। यद्यपि अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पाँच अन्य आपराधिक प्रकरण क्रमशः FIR संख्या 165/2023, पुलिस थाना सरमथुरा, धारा 323, 341, IPC व धारा 3/25, आयुध अधिनियम, FIR संख्या 187/2023 पुलिस थाना सरमथुरा, धारा 323, 341, 336, IPC, FIR संख्या 72/2025 पुलिस थाना सरमथुरा अन्तर्गत धारा 137(2), 64(1), 87, 64(2)(m), 351(3), BNS, FIR संख्या 312/2024 पुलिस थाना सरमथुरा धारा 8/21, NDPS Act व FIR संख्या 72/2026 पुलिस थाना मासलपुर अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29, NDPS Act में संस्थित होना जाहिर रहता है परन्तु प्रार्थी/आरोपी की दोषसिद्धि बाबत कोई तथ्य अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/आरोपी अपनी गिरफ्तारी की दिनांक 29.05.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। सहआरोपी सोमेश्वर की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13991/2025; Someshwar V/s State of Rajasthan, Through PP, Order dated 12/11/2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा अन्य सहआरोपीगण अशोक कुमार व रणजीत की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 10.04.2026 व 17.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/आरोपी का मामला उनसे गुरूतर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 861/2021, आदेश दिनांक 25.01.2021 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी

किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित व न्यायसंगत पाया जाता है।

5. **फलतः** प्रार्थी/आरोपी गीतेश उर्फ जीतेश पुत्र सीयाराम, आयु 25 साल, निवासी खरौली, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला करौली (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/आरोपी इस न्यायालय के समाधान पर रुपए 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रुपए) का स्वयं का बन्ध पत्र एवं रुपए 25,000/– 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार–पच्चीस हजार रुपए) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय जमानतें, आगामी प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थिति बाबत, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे तब अन्य किसी प्रकरण में वाँछित नहीं होने पर उसे इस प्रकरण में रिहा कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMW (Cri) No. 4/2021; IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की अनुपालना में मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिए E–Mail जेल उपाधीक्षक, जिला कारागृह, करौली को प्रेषित की जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी
पदार्थ अधिनियम प्रकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश),
करौली (राजस्थान)

6. आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी
पदार्थ अधिनियम प्रकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश),
करौली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.08 18:07:27 IST